Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 63/15 निर्णय दिनांकः– 27.07.2018

1. कुन्दई बेवा कालू खॉ जाति मुसलमान निवासी राणीसर हाल चक 17 डीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. शरीफ
3. मुराद खॉ
4. हाजरा
5. जन्नत

(2 से 5) पिसरान कालू खॉ जाति मुसलमान निवासी राणीसर हाल चक 17 डीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांटस

–बनाम–

1. करनाराम
2. उगमादेवी
3. भागीरथ
4. लिछुराम
5. रामकिसन

(1 से 5) पिसरान चतराराम जाति लुहार निवासीगण नोखा जिला बीकानेर

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।
7. असमानी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी 6 डीकेडी हाल निवासी 17 डीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
8. कमलादेवी पत्नी किशनाराम निवासी 6 डीकेडी हाल निवासी 17 डीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 25–11–2016
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5
3. श्री विनोद पुरोहित, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 25—11—2016 जिसके द्वारा अपीलांट्‌ान के धारण की भूमि को बतौर मिडियम पेच रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटान के धारण में बन्दोबस्ती की भूमि तहसील पूगल के वाके चक 17 डीडी के मुरब्बा नम्बर 29/38 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29/37 के किला नम्बर 16 ता 19, 21 ता 25 में 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29/53 के किला नम्बर 1, 10 ता 25 में 16 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29/63 के किला नम्बर 1 ता 9, 11 ता 22 में 21 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29/61 के किला नम्बर 1 ता 24 में 24 बीघा, मुरब्बा नम्बर 49/6 के किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा, मुरब्बा नम्बर 49/14 के किला नम्बर 1 ता 10 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 125 बीघा भूमि कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा मौके पर ढाणी व कुण्ड बना कर निवास कर रहे है। अदालत मातहत ने अपीलांट के धारण की भूमि चक 17 डीडी के मुरब्बा नम्बर 29/63 के किला नम्बर 1/0.18, 3 ता 19 में कुल 17 बीघा भूमि बतौर भूमिहीन के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को आवंटित कर दी गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट अपनी उक्त भूमि बाबत्‌ वर्षो से न्यायालय में कार्यवाही कर पुख्ता आवंटन की कार्यवाही जैरकार है। जिसमें फोटो फार्म भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है एवं विभिन्न उच्चतर न्यायालयों से स्थगन आदेश भी प्राप्त है। अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए वादगत्‌ भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं

किया कि आराजी जैर के पुख्ता आवंटन हेतु अन्य कोई प्रार्थना पत्र जैरकार है अथवा नहीं? इस तथ्य पर कोइ गौर किये बिना कानून व न्याय को ताक पर रखकर वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट को आवंटित करने में कानूनी भूल की है।

उन्होंने आगे बताया कि जब अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र जैरकार था तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅंचाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 25–11–2016 को किया गया है उक्त आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 25–11–2016 को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वार शुक्रवार अंकित किया गया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा तारीख में कंटिग करते हुए दिनांक 21–11–2016 अंकित कर दी गई परन्तु जल्दबाजी में वार जोकि पूर्व में शुक्रवार अंकित था जो बदली नहीं गई। जबकि दिनांक 21–11–2016 को शुक्रवार नहीं होकर सोमवार था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 व अदालत मातहत के उक्त कृत्य से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही पूर्व नियोजित तरीके से की गई है। अपीलांट के उक्त भूमि के पुख्ता आवंटन की कार्यवाही जैरकार है तथा उक्त भूमि बाबत् सिविल न्यायालय खाजुवाला से दिनांक 21–10–2013 को स्थगन आदेश भी पारित कर रखा है परन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन की गई थी। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को भूमि का आवंटन खेती करते हुए अपनी आजिविका हेतु आवंटित की गई थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा वादगत् भूमि को दिकनांक 07–06–2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को बेचान किया जा चुका है। अर्थात आवंटन

के एक वर्ष के भीतर—भीतर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा वादगत् भूमि का बेचान किया जा चुका है। जो स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों के विपरीत होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन, आवंटन प्रक्रिया को अपनाते हुए किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पति/पिता को दिनांक 24—05—2003 को चक 38 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 60/26 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया था। चूंकि उक्त भूमि मोहरबन्द नीलामी हेतु आरक्षित भूमि होने के कारण आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त आवंटन सूओमोटो रिव्यू करते हुए उक्त आवंटन दिनांक 24—05—2003 को निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को चक 5 एमएम के मुरब्बा नम्बर 54/45 की 24.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। परन्तु उक्त भूमि भी अन्य व्यक्ति खेमाराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल के नाम खातेदारी दर्ज होने व राजस्व मण्डल का स्थगन होने के कारण अन्य भूमि आवंटन हेतु प्रकरण आंवटन सलाहकार समिति की आईंदा होने वाली बैठक में पेश करने हेतु निर्धारित किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 25—11—2016 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में उक्त प्रकरण को प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को वादगत् भूमि चक 17 डीडी के मुरब्बा नम्बर 29/63 के किला नम्बर 1/0.18, 3 ता 9, 10/0.12, 11/0.10, 12 ता 19 इस प्रकार कुल 17 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटन हेतु तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार आवंटन से संबंधित तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा विधिवत रूप से वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूक प्राप्त होने के उपरान्त ही वादगत् भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया को अपनाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 द्वारा विधिवत रूप से क्रय की गई है। वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि उन्हें दिनांक 10—07—2017 को प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट का उक्त कथन स्वीकार योग्य कथन नहीं है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उनके कब्जे काश्त की भूमि है। इस संबंध में कथन है कि अपीलांट का वादगत् भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट को प्रारम्भ से ही उक्त आवंटन की जानकारी थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज की जावे। प्रकरण में मियांद का बिन्दु अहम है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में मियांद के बिन्दु पर लिबरल व्यू नहीं अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण मियांद के बिन्दु पर किया जाकर अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए वादगत् भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को किया गया है। जिसका बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा विधि अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में व वादगत् भूमि पर उनके हक व हकूकों के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कोई हक व हकूक बनता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो कतई चलने योग्य अपील नहीं हैं अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—11—2016 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 09—08—20178 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 17 डीडी के मुरब्बा नम्बर 29/63 के किला नम्बर 1/0.18, 3 ता 9, 10/0.12, 11/0.10, 12 ता 19 में 17 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 25—11—2016 को बतौर भूमिहीन आवंटन के तहत किया गया था। जबकि अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि के पुख्ता आवंटन की कार्यवाही अदालत मातहत के समक्ष जैकरार थी तथा सिविल न्यायालय खाजुवाला के वादगत् भूमि के बाबत् स्थगन आदेश जारी किया हुआ था ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा नियम विरूद्व जाकर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के पुख्ता आवंटन की कार्यवाही जैरकार थी तथा अपीलांट द्वारा नियमानुसार फोटो फार्म भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर रखा था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया जाकर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

(4) प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी भलींभांति स्पष्ट है कि वादगत् भूमि पर सिविल न्यायालय, खाजुवाला का स्थगन आदेश पारित किया हुआ था। अदालत मातहत वादगत् भूमि के बाबत् इस महत्वूपर्ण तथ्य पर कोई गौर नहीं करते हुए स्थगन आदेश के बावजूद भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को बतौर भूमिहीन किया गया है जो स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत का उक्त कृत्य किसी भी दृष्टि से न्यायपरक कृत्य की श्रेणी में नहीं आता है।

(5) जहॉ तक वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को भूमिहीन आवंटन का संबंध है इस संबंध में भी अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूपेण पालना नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पति/पिता को सर्वप्रथम दिनांक 24—05—2003 को चक चक 38 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 60/26 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया था। चूंकि उक्त भूमि मोहरबन्द नीलामी हेतु आरक्षित भूमि होने के कारण आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त आवंटन सूओमोटो रिव्यू करते हुए उक्त आवंटन दिनांक 24—05—2003 को निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को चक 5 एमएम के मुरब्बा नम्बर 54/45 की 24.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। परन्तु उक्त भूमि भी अन्य व्यक्ति खेमाराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल के नाम खातेदारी दर्ज होने व राजस्व मण्डल का स्थगन होने के कारण अन्य भूमि आवंटन हेतु प्रकरण आंवटन सलाहकार समिति की आईंदा होने

वाली बैठक में पेश करने हेतु निर्धारित किया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 25—11—2016 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में उक्त प्रकरण को प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को वादगत् भूमि चक 17 डीडी के मुरब्बा नम्बर 29/63 के किला नम्बर 1/0.18, 3 ता 9, 10/0.12, 11/0.10, 12 ता 19 इस प्रकार कुल 17 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को प्रथम बार दिनांक 24—05—2003 को भूमि आवंटित की गई थी उक्त भूमि मोहरबन्द नीलामी हेतु आरक्षित होने पर अदालत मातहत द्वारा द्वितीय बार दिनांक 23—02—2004 को अन्यत्र भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के कारण अदालत मातहत द्वारा पुनः तृतीय बार वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बार—बार एक ही व्यक्ति को भूमि का आवंटन किया जाता रहा है। जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(6) प्रकरण में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 25—11—2016 को किया गया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु दिनांक 25—11—2016 को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वार शुक्रवार अंकित किया गया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा तारीख में कांट—छांट करते हुए दिनांक 21—11—2016 अंकित कर दी गई परन्तु जल्दबाजी में वार जोकि पूर्व में शुक्रवार अंकित था जो बदली नहीं गई। जबकि दिनांक 21—11—2016 को शुक्रवार नहीं होकर सोमवार था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 व अदालत मातहत के उक्त कृत्य से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 व अदालत मातहत द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से किया गया है।

(7) इस प्रकार प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र जैरकार था, वादगत् भूमि पर सिविल न्यायालय खाजुवाला का स्थगन आदेश पारित किया हुआ था तथा मिडियम पेच आवंटन हेतु निर्धारित

प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए अदालत मातहत द्वारा कार्यवाही की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, पूगल दिनांक 25—11—2016 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर